क्रमांक 04/24/2021–आर0यू0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रशासकीय सुधार विभाग।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासकीय सचिव,
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष,
3. हरियाणा राज्य के सभी मण्डल आयुक्त,
4. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त।

दिनांक चण्डीगढ : 03.12.2021

विषयः **प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा सरकारी कार्यालय व विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त अमले का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली त्रुटियों एवं अनियमितताओं बारे।**

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय एवं इस विभाग के पत्र क्रमांक 2/78/03–आर0यू0, दिनांक 06.11.2003, 10/176/2003–4ए0आर0, दिनांक 20.08.2003 तथा अशा0 क्रमांक 4/2/87–ए0आर0, दिनांक 21.09.87 की ओर दिलाऊं और कहूं कि प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा समय–समय पर सरकारी कार्यालयों व विभागों का औचक निरीक्षण किया जाता है। प्रायः निरीक्षण के दौरान देखने में आया कि कार्यालयों में निम्नलिखित त्रुटियां एवं अनियमितताए पाई जाती हैः–

1 शाखाओं के उपस्थिति पंजियों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों का पूरा नाम व पद और शाखा–प्रभारी (अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी/निजि सविच/सक्षम अधिकारी इत्यादि) द्वारा अपना पूरा नाम व पद नहीं दर्ज किया जाता है, जिस कारण शाखा–प्रभारी/सक्षम अधिकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफाारिश करने में बाधा आती है।

2 निरीक्षण के दौरान यह भी देखने में आया कि माननीय मंत्रीगण, प्रशासकीय सचिवों व विभागाध्यक्षों के निजि अमले द्वारा उपस्थिति पंजिका का संचालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से उनके कार्यालय में नियुक्त अमले का ब्यौरा नहीं मिलता है अर्थात् अमले का आकस्मिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

3 नियमानुसार प्रत्येक प्रशासकीय सचिव द्वारा तीन मास में एक बार तथा विभागाध्यक्ष द्वारा मास में एक बार अपने अधीन विभाग/संस्था/निजि अमले का निरीक्षण करना आवश्यक होता है और निरीक्षण रिपोर्ट एवं की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की रिपोर्ट की एक प्रति प्रशासकीय सुधार विभाग को भिजवाई जानी होती है जो कि इस विभाग को प्राप्त नहीं हो रही है।

उक्त त्रुटियां एवं अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित हिदायतों की अनुपालना करेः—

1. शााखाओं के उपस्थिति पंजियों में कर्मचारियों एंव अधिकारियों को पूरा नाम व पद और शाखा—प्रभारी (अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी/निजि सचिव/सक्षम अधिकारी इत्यादि) द्वारा अपना पूरा नाम व पद दर्ज किया जाए।

2. सभी माननीय मंत्रीगण, प्रशासकीय सचिवों व विभागाध्यक्षो के निजि अमले द्वारा उपस्थिति पंजिका का संचालन किया जाए।

3. प्रत्येक प्रशासकीय सचिव द्वारा तीन मास में एक बार तथा विभागाध्यक्ष द्वारा मास में एक बार अपने अधीन विभाग/संस्था/निजि अमले का निरीक्षण करके रिपोर्ट की एक प्रति विलम्ब जॉच ईकाई, प्रशासकीय सुधार विभाग को भिजवाई जाए।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ विभागों एंव कार्यालयों में उक्त हिदायतों की अनुपालना दृढता से करवाना सुनिश्चित करें तथा और जब कभी निरीक्षण टीम आकस्मिक निरीक्षण करने आये तो उन्हे पूरा सहयोग देवें ।

अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान ईकाई)
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृष्ठांकन क्रमांक 04/24/2021—आर0यू0 दिनांक चण्डीगढ : 03.12.2021

एक—एक प्रति सभी मन्त्रीगणों के प्रधान वरिष्ठ सचिवों/ वरिष्ठ सचिवों/ सचिवों/ निजि सचिवों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान ईकाई)
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार